[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग2, खंड3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं.29/2019-**केंद्रीय कर**

नई दिल्ली, 28 जून, 2019

सा.का.नि..............(अ) आयुक्त, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनयम कहा गया है) 61क के नियम के उपनियम 5 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) 168 की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते है कि, जुलाई 2019 से सितंबर 2019 तक प्रत्येक मास के लिए उक्त नियम के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी ऐसे मास के उतरवर्ती मास के बीसवें दिन को या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी ।

2. **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए संदाय:- उक्त नियम के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए पहले पैरा में यथविनिर्दिष्ट उस अंतिम तारीख के अपश्चात् जिसको उससे उक्त विवरणी को प्रस्तुत करना अपेक्षित है, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, फीस या किसी अन्य रकम के संबंध में, शास्ति ब्याज, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में, यथास्थिति, विकलन करके अपने दायित्व का निर्वहन करेगा ।

[फा.सं.20/06/16/2018-जीएसटी]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार